आदेश	कार्यवाही विवरण
7/5/24	पत्रावली पेश हुई बहस उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी/प्रार्थी ने प्रा०पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन को देखते हुए न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 16.8.24 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसके बाद अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब या विरोध पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। अतः पत्रावली में दिनांक 16/8/24 के अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी सं. 01 ने अप्रार्थी सं. 02 व 03 से जरिये विक्रय पत्र रास्ते की भूमि को क्रय किया गया है ताकि अप्रार्थी क्र. 01 को अपने खेत व सड़क के बीच में रास्ता मिल जावे। बेचान होने के बाद प्रार्थीगण ने उसको परेशान करने के लिए यह दावा व प्रा०पत्र पेश किया गया है अतः प्रा०पत्र को खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 16.8.24 को मौके की यथास्थिति के अन्तरिम आदेश दिये गये है उसके बाद अप्रार्थीगण के खिलाफ उपस्थिति कार्यवाही व 1/3 का जवाब पेश किया गया है। विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है, यह संयुक्त खातेदारी भूमि है अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के खिलाफ [illegible] अन्तरिम आदेश दिनांक 16.8.2024 को [illegible] मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए कन्फर्म किया जाता है। [illegible] आइन्दा दिनांक [illegible] को [illegible] न्यायालय में भिजवाया जावे/ पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 07/05/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:57:57 IST
Reason: SelfAttested